प्रेस नोट   पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद   दिनांक 09.07.2025

‘वृक्षारोपण महाभियान–2025’ के अंतर्गत गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस द्वारा वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण संवर्धन हेतु संचालित **‘वृक्षारोपण महाभियान–2025’** के अन्तर्गत 9 जुलाई को प्रदेश में 37 करोड़+ पौधों के रोपण का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य हरित आवरण में वृद्धि, जलवायु संतुलन की स्थापना तथा जन सहभागिता के माध्यम से पर्यावरण के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना है।

इस अवसर पर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट द्वारा सभी थानों, कार्यालयों एवं पुलिस लाइन्स गाजियाबाद (परेड ग्राउण्ड) में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय नागरिकों द्वारा सक्रिय सहभागिता करते हुए छायादार, औषधीय एवं फलदार वृक्षों का रोपण किया गया।

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में **‘वृक्षारोपण महाभियान–2025’** के अन्तर्गत **“एक पेड़ माँ के नाम”** की थीम पर इस वर्ष कुल 9240 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। जिसे सफल बनाने के लिए पुलिस लाइन्स, थानों एवं कार्यालयों को समुचित संख्या में पौधों का आवंटन किया गया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री अतुल गर्ग, मा0 सांसद गाजियाबाद की प्रेरणादायी उपस्थिति में पुलिस लाइन्स गाजियाबाद परेड ग्राउण्ड में विशेष कार्यक्रम रखा गया। जिसमें मा0 सांसद एवं पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा पौधरोपण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं कानून-व्यवस्था, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय, अपर पुलिस उपायुक्त अपराध/लाइन्स एवं अन्य अधिकारीगण/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

“वृक्षारोपण महाभियान-2025” के अन्तर्गत पौधरोपण की फोटोग्राफी कराते हुए वन विभाग उत्तर प्रदेश के **‘हरितिमा अमृत ऐप’** पर पौधरोपण की शत-प्रतिशत जियोटैगिंग की गई।

“वृक्षारोपण केवल एक कार्य नहीं, भविष्य के प्रति हमारा संकल्प है।”

काँवड़ यात्रा ड्यूटी के दौरान बारिश से बचाव हेतु यातायात पुलिस कर्मियों को रेनकोट, रेनबूट एवं हैट का वितरण

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के दिए गए निर्देशों के क्रम में काँवड़ यात्रा एवं बारिश के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए आज दिनांक 09-07-2025 को गाजियाबाद के विभिन्न स्थानों यथा हापुड़ चुंगी, मेरठ तिराहा, लाल कुआँ एवं गंगनहर पर कुल 200 रेनकोट, 200 रेनबूट एवं 200 हैट वितरित किये गए।

जिसका मुख्य उद्देश्य आगामी काँवड़ यात्रा ड्यूटी के दौरान बारिश होने पर भी यातायात पुलिस कर्मी अपने महत्वपूर्ण ड्यूटी पॉइंट्स को न छोड़ें एवं मुस्तैदी से अपने-अपने ड्यूटी पॉइंट्स पर उपस्थित रहकर काँवड़ यात्रा के दौरान सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए काँवड़ यात्रा को सकुशल सम्पन्न करा सकें।

किसी भी प्रकार के यातायात नियमों के उल्लंघन की सूचना वीडियो के साथ यातायात पुलिस कण्ट्रोल रूम नंबर 9643322904 पर भेज सकते हैं।

सड़क सुरक्षा - जीवन रक्षा

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

थाना अंकुर विहार पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 18.05.2025 को वादी द्वारा थाना अंकुर विहार पर प्रार्थना-पत्र दिया कि मेरी पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष घर से बिना बताये कहीं चली गयी है। जिसके सम्बन्ध में थाना अंकुर विहार पर तत्काल धारा 137(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा पीडिता की तलाश हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा पीडिता को सकुशल बरामद किया गया तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त दानिश पुत्र जमशेद निवासी ग्राम सरुरपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड का नाम प्रकाश में आया तथा धारा 64 बीएनएस व 3/4 पॉक्सो अधिनियम की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 09.07.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त दानिश पुत्र जमशेद निवासी ग्राम सरुरपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड उम्र करीब 24 वर्ष को डीएलएफ थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों का परिचय करीब 02 वर्ष पूर्व इन्ट्राग्राम के माध्यम से हुआ था तथा हमारी बातचीत होने लगी थी। एक दिन मैं मौका पाकर पीडिता को अपने साथ बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दानिश पुत्र जमशेद निवासी ग्राम सरुरपुर थाना सिम्भावली जनपद हापुड उम्र करीब 24 वर्ष

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त दानिश उपरोक्त के विरुद्ध थाना विजयनगर पर आयुध अधिनियम का 01 अभियोग, थाना खोडा पर धारा 363 भादवि का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल अभियोग -03)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा अवैधरूप से हुक्काबार चलाने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 03 हुक्के, 03 पाइप , 01 चिमटा ,03 चिलम, 02 डिब्बी तम्बाकू फ्लेवर सील पेक व 01 डिब्बी तम्बाकू फ्लेवर खुली बरामद।

दिनांक 08.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर थाना लोनी बार्डर क्षेत्र में अवैधरूप से हुक्काबार का संचालन करने वाले अभियुक्त गजेन्द्र कुमार पुत्र सोरन सिंह नि0- बी 61/2 जौहरीपुर कर्दम फार्म थाना करावलनगर दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 03 हुक्के, 03 पाइप , 01 चिमटा ,03 चिलम, 02 डिब्बी तम्बाकू फलेवर सील पेक व 01 डिब्बी तम्बाकू फलेवर खुली बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध उक्त बरामदगी के आधार पर धारा 4/21(1) सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं चोरी छिपे थाना लोनी बार्डर क्षेत्र में अवैधरूप से हुक्काबार चलाते हूँ तथा ग्राहकों को तम्बाकू का सेवन कराकर पैसे कमा लेता हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

गजेन्द्र कुमार पुत्र सोरन सिंह नि0- बी 61/2 जौहरीपुर कर्दम फार्म थाना करावलनगर दिल्ली उम्र करीब 30 वर्ष।

बरामदगी का विवरण –

कब्जे से 03 हुक्के, 03 पाइप ,01 चिमटा,03 चिलम,02 डिब्बी तम्बाकू फलेवर सील पेक व 01 डिब्बी तम्बाकू फलेवर खुली बरामद।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

उपरोक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व से सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त प्रकरण के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

ग्रामीण जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के अन्तर्गत 'वृक्षारोपण महाभियान-2025' के अवसर पर किया गया वृक्षारोपण।

आज दिनांक 09 जुलाई 2025 को 'वृक्षारोपण महाभियान-2025' के अंतर्गत प्रदेशभर में 37 करोड़+ पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है।

जन सहभागिता से ही हम स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण सृजित करने की दिशा में अग्रसर होंगे।

इस अवसर पर श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा आमजन श्रीमती लखपति, तेज सिंह आदि फरियादियों तथा कार्यालय स्टाफ के साथ मिलकर, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण कार्यालय मुरादनगर के ग्राउण्ड में वृक्षारोपण किया गया।

ग्रामीण जोन के थाना निवाडी परिसर में श्रीमती मंजू शिवाच, माननीय विधायक मोदीनगर, सहायक पुलिस आयुक्त मोदीनगर व थाना प्रभारी निवाड़ी तथा थाना भोजपुर परिसर में श्रीमती मंजू शिवाच, माननीय विधायक मोदीनगर, श्रीमती सुचेता सिंह, ब्लॉक प्रमुख भोजपुर, व थाना प्रभारी भोजपुर व अन्य गणमान्य द्वारा वृक्षारोपण किया गया।

इसी क्रम में ग्रामीण जोन पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण के निर्देशन में ग्रामीण जोन के समस्त सहायक पुलिस आयुक्त एवं समस्त थाना प्रभारियों द्वारा अपने अधीनस्थ पुलिस कार्मिकों व आमजन के साथ मिलकर अपने-अपने कार्यालय व थाना परिसरों में वृक्षारोपण कर 'वृक्षारोपण महाभियान-2025' में प्रतिभाग किया गया।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा चोरी की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 02 जोड़ी पायल सफेद धातु (छोटी) , 01 जोड़ी कड़े सफेद धातु (छोटे) ,02 जोड़ी पायल सफेद धातु (बड़ी) , 01 नाक की लोंग पीली धातु, 02 नोज रिंग पीली धातु व 2 अंगूठी पीली धातु बरामद।

दिनांक 03.05.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोर द्वारा वादी के घर से सोने व चांदी के आभूषण चोरी कर ले जाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना लोनी बॉर्डर पर तत्काल धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।
तत्पश्चात दिनांक 08.07.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा सीसीटीवी कैमरा व मैनुअल इन्पुट के आधार पर उपरोक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना कारित करने वाले अभियुक्त आसिफ पुत्र हसीमुद्दीन निवासी जौहरीपुर की पुलिया हनुमान मंदिर के पास शिव विहार दिल्ली मूल निवासी कोट मोहल्ला, थाना पिहानी, जिला हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की 02 जोड़ी पायल सफेद धातु (छोटी) , 01 जोड़ी कड़े सफेद धातु (छोटे) ,02 जोड़ी पायल सफेद धातु (बड़ी) , 01 नाक की लोंग पीली धातु, 02 नोज रिंग पीली धातु व 2 अंगूठी पीली धातु बरामद हुयी। उक्त बरामदगी के आधार उपरोक्त अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान जुर्म को स्वीकार करते हुए बताया कि यह सामान मैंने कुछ दिन पहले राजनगर कॉलोनी स्थित एक मकान से चोरी किया था जिसे मैंने पुलिस के डर से छिपा कर रखा था। मैं इस सामान को बेचने जा रहा था कि पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

आसिफ पुत्र हसीमुद्दीन निवासी जौहरीपुर की पुलिया हनुमान मंदिर के पास शिव विहार दिल्ली मूल निवासी कोट मोहल्ला, थाना पिहानी, जिला हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर पूर्व से चोरी/बरामदगी के 02 अभियोग पंजीकृत हैं तथा उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

चोरी की 02 जोड़ी पायल सफेद धातु (छोटी) , 01 जोड़ी कड़े सफेद धातु (छोटे) ,02 जोड़ी पायल सफेद धातु (बड़ी) , 01 नाक की लोंग पीली धातु, 02 नोज रिंग पीली धातु व 2 अंगूठी पीली धातु बरामद।

गिरफ्तार व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

साईबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में ठगी गई 5000/- की धनराशि वापस करायी गयी।

आज दिनांक 09.07.2025 को साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा आवेदक रवि शर्मा पुत्र नन्दकिशोर निवासी गली न0 9 शिवपुरी गाजियाबाद के साथ हुए साइबर फ्रॉड में ठगी गयी कुल धनराशि 5000 हजार रू0 वापस कराये गये।

कार्यवाही का विवरण

साइबर क्राइम अपराधियों के विरूध्द की जा रही प्रभावी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद को NCRP पोर्टल के माध्यम से दिनांक 02.07.2025 को रवि शर्मा पुत्र नन्दकिशोर निवासी गली न0 9 शिवपुरी गाजियाबाद के साथ 5000/-रू0 की साइबर ठगी से सम्बंधित शिकायत प्राप्त हुई थी जिस पर साइबर सेल थाना विजयनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद की टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए आवेदक के साथ हुई आनलाइन ठगी की धनराशि को होल्ड कराया गया व अथक प्रयासों के बाद दिनांक 09.07.2025 को आवेदक के साथ हुई साइबर फ्रॉड की धनराशि को बैंक से पत्राचार कर वापस कराया गया आवेदक द्वारा थाना विजयनगर पर आकर पुलिस टीम का आभार प्रकट किया गया

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

थाना विजयनगर साइबर सेल

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

दिनांक 08.07.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र रामपार्क से अवैध मादक पदार्थ के साथ अभियुक्त कदमपुरी ब्रह्मया पुत्र रमेश निवासी हाल पता आनन्द आटा चक्की के पास मंगल बाजार रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद स्थायी पता विशाखापट्टनम बीच रोड थाना फोर्थ टाउन आन्ध्र प्रदेश उम्र

करीब 33 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर धारा 08/20 NDPS ACT के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। मै गांजा को विशाखापट्टनम से खरीदकर बैग में छिपाकर ट्रेन के माध्यम से गाजियाबाद में लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बना लेता हूँ और चोरी छिपे राह चलते व्यक्तियों को बेच देता हूँ तथा प्राप्त रूपयों से अपने शौक पूरे करता हूँ। जो गांजा मुझसे से बरामद हुआ है उसे मैं आंध्रप्रदेश से खरीद कर बेचने के लिए लाया था कि पुलिस ने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

कदमपुरी ब्रह्मया पुत्र रमेश निवासी हाल पता आनन्द आटा चक्की के पास मंगल बाजार रामपार्क थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद स्थायी पता विशाखापट्टनम बीच रोड थाना फोर्थ टाउन आन्ध्र प्रदेश उम्र करीब 33 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 10 किलो 100 ग्राम अवैध गांजा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त कदमपुरी ब्रहाया के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर अवैध गांजा बरामदगी के संबंध में 02 अभियोग तथा थाना अंकुर विहार पर अवैध गांजा बरामदगी का 01 अभियोग पंजीकृत है। (कुल-03 अभियोग)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

काँवड़ यात्रा -2025 के अवसर पर हल्के/मध्यम वाहनों का यातायात डायवर्जन

दिनांक 17.07.2025 समय रात्रि 22.00 बजे से दिनांक 25.07.2025 तक

- गंगनहर पटरी काँवड़ मार्ग/पाइपलाइन मार्ग पर सभी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- मोहननगर/मेरठ तिराहा/राजनगर एक्सटेन्शन/हापुड़ चुगी की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 34 (पूर्व में एन0एच0- 58) पर दिनांक 14.07.2025 समय दोपहर 12:00 बजे से केवल मेरठ जाने वाली लेन (एकल मार्ग) में दोनों ओर का यातायात आवागमन कर सकेगा, परन्तु दिनांक 17.07.2025 की रात्रि समय 22:00 बजे से उक्त मार्ग की दोनों लेन में वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- पलवल/कुण्डली से ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे से आने वाले वाहन जिनका गंतव्य स्थल गाजियाबाद शहर/मुरादनगर/मोदीनगर है, वो दुहाई कट से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 34 (पूर्व में एन0एच0- 58) पर न उतरकर डासना कट पर उतरकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 09 का प्रयोग करते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे।
- मेरठ तिराहा से मोहननगर/सीमापुरी बॉर्डर की ओर जाने वाले वाहन दिनांक 14.07.2025 समय दोपहर 12:00 बजे से सीमापुरी बॉर्डर की ओर से आने वाली लेन (एकल मार्ग) में आवागमन कर सकेंगे, परन्तु 17.07.2025 की रात्रि समय 22:00 बजे से उक्त मार्ग की दोनों लेन में वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- चौधरी मोड/नया बस अडडा/गऊशाला फाटक/हापुड तिराहा/कैला भटटा की ओर से दूधेश्वरनाथ मन्दिर की ओर सभी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

- संजय गीता चौक/घूकना मोड़/डीपीएस कट/सिहानी चुंगी/संजयनगर फ्लाईओवर से राष्ट्रीय राजमार्ग- 34 (पूर्व में एन0एच0-58) की ओर वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- मेरठ तिराहा से संतोष मैडीकल जल निगम टी-प्वाइन्ट के मध्य वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे का प्रयोग कर दिल्ली/मेरठ की ओर जाने वाले वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 09 का प्रयोग कर हापुड़ होते हुए मेरठ/दिल्ली की ओर जायेंगे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे पर वाहनों का प्रवेश दिनांक 17.07.2025 समय 22:00 बजे से पूर्णतयाः प्रतिबन्धित रहेगा।
- रेलवे स्टेशन रोड, किराना मण्डी, रमतेराम रोड, घण्टाघर, बजरिया रोड, दिल्ली गेट की तरफ से आने वाले हल्के वाहनों का आवागमन दूधेश्वरनाथ मन्दिर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- मेरठ तिराहा से हिण्डन नदी, कनावनी एवं इन्दिरापुरम की तरफ किसी भी वाहन को नहीं जाने दिया जायेगा। इन वाहनों को पुराना बस अड्डा से चौधरी मोड़ होते हुये डायवर्ट कर विजयनगर रेलवे पुल से एन.एच-09 होते हुये अपने गन्तव्य को भेजा जायेगा। सभी प्रकार के ऑटो का संचालन सीमापुरी बॉर्डर से लाल कुआ के मध्य पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग सं0- 34 (पूर्व में एन0एच0- 58) काँवड़ मार्ग पर भी सभी प्रकार के ऑटो आदि का संचालान भी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।
- मोहननगर से वसुन्धरा फ्लाईओवर के मध्य सभी प्रकार के ऑटो का संचालन पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा।

नोटः- उपरोक्त के अतिरिक्त कांवड़ियों की संख्या एवं कमिश्नरेट गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था के दृष्टिगत डायवर्जन दिनांक/रूट/यातायात डायवर्जन व्यवस्था में आवश्यकतानुसार कभी भी संसोधन किया जा सकता है।

  - मुख्य काँवड़ मार्ग के साथ साथ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे को आवश्यकता पडने पर कंटेन्जेन्सी मार्ग/रूट के रूप में कभी भी प्रयोग में लाया जा सकता है।
  - आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को काँवड़ियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुये अलग से अनुमति दी जा सकती है।

महत्वपूर्ण फोन नम्बर-

नगर नियन्त्रण कक्ष-सी0यू0जी0-9643208942	ग्रामीण नियन्त्रण कक्ष-सी0यू0जी0-8929436700	ट्रान्स हिण्डन नियन्त्रण कक्ष-सी0यू0जी0- 9643204440	ट्रैफिक नियन्त्रण कक्ष-सी0यू0जी0-9643322904

यातायात निरीक्षक गणों के क्षेत्र एवं उनके मोबाइल नम्बर-

यातायात निरीक्षक प्रथम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे/शहर क्षेत्र-7398000808	यातायात निरीक्षक तृतीय मुरादनगर/मोदीनगर क्षेत्र-9058505770	यातायात निरीक्षक पंचम मोहननगर/तुलसी निकेतन/सीमापुरी क्षेत्र- 8787066787

यातायात निरीक्षक द्वितीय मेरठ रोड/शहर क्षेत्र-8707676770	यातायात निरीक्षक चतुर्थ यूपी गेट/इन्द्रापुरम क्षेत्र-8130674912	यातायात निरीक्षक षष्टम लोनी/लोनी बॉर्डर/ट्रोनिका सिटी/अंकुर विहार क्षेत्र-9219005151

अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात
कमिश्नरेट-गाजियाबाद।

थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.07.2025 को थाना मोदीनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि वादी की पुत्री उम्र 14 वर्ष को अभियुक्तगण द्वारा बहला फुसलाकर अपनी गाडी में गांव से बाहर ले जाकर अभियुक्त आदित्य चौधरी उर्फ दगडू द्वारा पीडिता के साथ गलत काम करना व धमकी देना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मोदीनगर पर तत्काल सुसंगत धारा 137(2)/65(1)/351(2) BNS व 4(2) पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। तत्पश्चात थाना मोदीनगर पुलिस द्वारा पीडिता के मेडीकल परीक्षण व धारा 183 बीएनएसएस की कार्यवाही की गई जिसमें पीडिता के बयानों के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा 65(1) BNS व 4(2) पोक्सो अधिनियम का लोप कर धारा 70(2) BNS व 5(g)(m)/6 पोक्सो एक्ट की वृद्धि की गई व अभियुक्त अभिषेक त्रिपाठी पुत्र सुदर्शन त्रिपाठी का नाम प्रकाश में आया।

आज दिनांक 09.07.2025 को थाना मोदीनगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये अभियुक्त अभिषेक त्रिपाठी पुत्र सुदर्शन त्रिपाठी निवासी 18/3 सुचेतापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उपरोक्त अभियोग में अन्य वांछित अभियुक्त आदित्य चौधरी उर्फ दगडू पुत्र संजीव चौधरी निवासी सुचेतापुरी गोविन्दपुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं घटना के समय गाड़ी में मौजूद था। आदित्य चौधरी उर्फ दगडू पुत्र संजीव चौधरी ने पीड़िता के साथ उपरोक्त घटना कारित की थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

अभिषेक त्रिपाठी पुत्र सुदर्शन त्रिपाठी निवासी 18/3 सुचेतापुरी थाना मोदीनगर गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मोदीनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम– थाना मोदीनगर पुलिस टीम।

वृक्षारोपण महाअभियान – 2025

"एक पेड़ मां के नाम"

आज दिनांक 09 जुलाई 2025 को माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक व श्री निमिष पाटील पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन द्वारा मोहननगर स्थित अपने कार्यालय पर समस्त

अधिकारीगण/कर्मचारीगण के साथ उ0प्र0 सरकार के राज्यव्यापी वृक्षारोपण महाअभियान-2025 के अंतर्गत "एक पेड़ मां के नाम" कार्यक्रम में भाग लिया।

इस वर्ष वृक्षारोपण महाअभियान - 2025 के तहत 37 करोड़ पौधरोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिसके अन्तर्गत गाजियाबाद पुलिस द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए एक वृक्षारोपण अभियान का आयोजन कर विभिन्न थानों/कार्यालयों पर वृक्षारोपण किया गया।

इस अवसर पर मंत्री महोदय ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों एवं स्टाफ के साथ परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने का संदेश दिया। कैबिनेट मंत्री ने पुलिस विभाग द्वारा पर्यावरणीय पहलों में निभाई जा रही सक्रिय भूमिका की सराहना की और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने में वृक्षारोपण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के प्रयास न केवल सार्वजनिक स्थलों की सुंदरता बढ़ाते हैं, बल्कि हमें प्रकृति के प्रति अपने दायित्व का भी एहसास कराते हैं।कार्यक्रम के दौरान मंत्री महोदय ने पुलिस कर्मियों से संवाद भी किया और उन्हें कार्यालयीन कार्यों में पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित किया।

पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन कमिश्नरेट गाजियाबाद ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर बल देते हुए सभी से अधिक से अधिक पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्री सुनील कुमार शर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिक व श्री निमिष पाटील पुलिस उपायुक्त ट्रांस हिंडन जोन एवं श्रीमती श्वेता कुमारी यादव, सहायक पुलिस आयुक्त साहिबाबाद तथा श्री योगेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

वृक्षारोपण अभियान का समापन सभी उपस्थितजनों द्वारा पौधों की देखभाल व हरित उत्तर प्रदेश की दिशा में योगदान देने की शपथ के साथ हुआ।

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 हेलमेट बरामद।

दिनांक 08.07.2025 को थाना साहिबाबाद पर वादिया द्वारा लिखित तहरीर दी और बताया कि वादिया के पति मृतक गौरव त्यागी पुत्र सुरेश त्यागी जो कि वी 3 एस मॉल लक्ष्मी नगर दिल्ली में ड्यूटी करते थे। दिनांक 02.07.2025 की रात्रि में वादिया के पति मृतक की ड्यूटी से लौटने के दौरान मृतक की अपने साथी देवेन्द्र राणा से उनके फोन पर बातचीत हुई। उस समय उन्होने अपने दोस्त देवेन्द्र को बताया कि कुछ लोगों का मेरे साथ झगड़ा हो गया है। उसके कुछ ही देर बाद वादिया के पति ने रात्रि को पुनः फोन करके देवेन्द्र को बताया कि एक वाहन सं यू0पी014 एफडब्लू 2530 व एक ब्रेजा कार यूपी, बीवाई 0080 तुम जल्दी से इन गाडियों का नम्बर नोट कर लो तथा मेरे पति ने देवेन्द्र को उन गाड़ियों के नम्बर नोट कराये। उसके बाद प्रार्थिनी के पति काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो प्रार्थिनी ने अपने पति को फोन किया लेकिन उनका फोन नहीं मिला तथा ना उनके बारे में कही कोई जानकारी मिल सकी फिर उसी रात समय रात्रि में प्रार्थिनी को सूचना मिली कि उनकी डेड बाडी अर्थला पार्श्वनाथ सोसाईटी के पास पड़ी मिली है तथा प्रार्थिनी को जिला एमएमजी अस्पताल में बुलाया गया तथा शव का पोस्टमार्टम कराया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना साहिबाबाद पर धारा 103(1) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया।
उपरोक्त घटना के क्रम में आज दिनांक 09.07.2025 को थाना साहिबाबाद पुलिस टीम द्वारा मैनुअल इनपुट व चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर हत्या की घटना कारित करने वाला 01 अभियुक्त आदिल चौधरी पुत्र रिजवान चौधरी निवासी जीडीए फ्लैट्स A-306 संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र

करीब 27 वर्ष को अर्थला चौकी क्षेत्र मोहननगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त आदिल चौधरी पुत्र रिजवान चौधरी उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दिनांक 02.07.25 को मै अपने साथी फैजल एवं सुभान के साथ पाश्वनार्थ सोसइटी के सामने खडा हुआ था। वही पर कुछ ट्रांसजेन्डर भी मौजूद थे। हम लोग की आपस में गाली गलौच हो रही थी। इतने में यह व्यक्ति(मृतक) अपनी मोटर साइकिल से वहाँ पर आया और हम लोगों की गाली गलौच को देखकर हमें टोका तो मैने उससे वहां से जाने को कहा इसपर उसने अपने मोबाइल से हमारी एवं गाड़ियों की फोटो खींचकर पुलिस को सूचना देने को कहा इसी बात पर मेरी व फैजल एवं सुभान की उससे बहस हो गयी और बात इतनी बढ गयी कि मैने उसके सिर में उसकी मोटर साइकिल पर रखे हेलमेट से ही उसके सर पर वार कर दिया। जिससे सिर में चोट आने से वह जमीन पर गिर गया। इसके बाद हम लोग हम लोग वहाँ से चले गये। बाद में पता चला कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आदिल चौधरी पुत्र रिजवान चौधरी निवासी जीडीए फ्लैट्स A-306 संजय कालोनी अर्थला थाना साहिबाबाद कमिश्नरेट गाजियाबाद उम्र करीब 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः-

घटना में प्रयुक्त 01 हेलमेट बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

गिरफ्तार अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

थाना साहिबाबाद पुलिस टीम।